

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,  
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 497 / 16

संस्थित दिनांक -06 / 06 / 14

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर

जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

/ / विरुद्ध / /

01. अशोक वल्द केहरसिंह मरकाम

उम्र 20 वर्ष नि-रजमा सुक्लूटोला

थाना बैहर, जिला बालाघाट म0प्र0

02. परसराम वल्द जीवनलाल बाहेश्वर

उम्र 45 वर्ष नि-कम्पाउण्डर टोला बैहर

जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपीगण

::निर्णय::

{ दिनांक 15 / 12 / 2016 को घोषित }

1. आरोपी अशोक के विरुद्ध धारा 279, 337(दो बार), भा.द.वि. एवं धारा 3 / 181, 146 / 196, 130(3) / 177, 50(ख) / 177 मो.व्ही.एक्ट. के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 02 / 02 / 14 को समय रात्रि 08:00 बजे थाना बैहर क्षेत्रांतर्गत ग्राम रौंदाटोला मेन रोड पतिराम के घर के समाने लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50 / एम.बी.-5545 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उतावेलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहतगण सन्तुलाल व मीराबाई को चोट पहुँचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की व उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस, बीमा के चलाया एवं उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा फिटनेश पेश नहीं किया, उक्त वाहन के अंतरीति होते हुये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की।

2. आरोपी परसराम के विरुद्ध धारा 5 / 180, 146 / 196, 50(क) / 177 मो.व्ही.एक्ट. के तहत आरोप हैं कि उसने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा तथा बिना वैध लाईसेंस वाले व्यक्ति से चलवाया एवं उक्त वाहन के अंतरक होते हुये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की।

3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी सन्तुलाल द्वारा थाना बैहर में सूचना दी गयी कि दिनांक 02.02.2014 को बैलगाड़ी में धान

पिसाकर रात्रि 08:00 बजे वह अपने घर डुडगांव जा रहा था। पत्नी मीरा बैलगाड़ी में बैठकर बैलों को हकाल रही थी तथा वह सामने चल रहा था। रोंदाटोला मेन रोड पर पतिराम के घर के सामने एक मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50./एम.बी.-5545 का चालक अशोक तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से मोटरसाईकिल चलाकर बैलगाड़ी में पीछे ठोस मारा जिससे बैलगाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी। उसके बायें पैर तथा मीराबाई के दाहिने हाथ में चोट आयी। घटना की सूचना थाने पर प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के क्रम में आहत संतुलाल तथा मीराबाई की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

4. न्यायालय द्वारा आरोपीगण के खिलाफ धारा 279,337(दो बार) भा.द.वि. एवं धारा 3/181, 5/180, 146/196, 130(3)/177, 50(क)/177, 50(ख)/177 मो.व्ही.एक्ट. के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए गए। आरोपीगण द्वारा आरोपित अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा आरोपीगण का अभिवाक उसके शब्दों में अंकित किया गया। आरोपीगण ने धारा 313 द.प्र.सं के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया।

5. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी अशोक ने दिनांक 02.02.2014 को समय रात्रि 08:00 बजे थाना बैहर क्षेत्रांतर्गत ग्राम रोंदाटोला मेन रोड पतिराम के घर के सामने वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50./एम.बी.-5545 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
- (2) क्या आरोपी अशोक ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहतगण संतुलाल व मीराबाई को चोट पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- (3) क्या आरोपी अशोक ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बीमा के चलाया तथा आरोपी परसराम ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा तथा बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति से चलवाया ?
- (4) क्या आरोपी अशोक ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा फिटनेश पेश नहीं किया ?
- (5) क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी परसराम ने

उक्त वाहन के अंतरक तथा आरोपी अशोक ने उक्त वाहन के अंतरीति होते हुये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की।

### **::सकारण निष्कर्ष::**

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3,4 तथा 5

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. घटना के आहत संतुलाल (अ.सा...) का कथन है कि घटना आज से लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि 08:00 बजे ग्राम रोंदाटोला में पतिराम के घर के सामने की है, घटना दिनांक को उसकी पत्नी मीराबाई बैलगाड़ी हाककर ग्राम डुडगांव ले जा रहा रही थी और वह बैलगाड़ी के आगे पैदल चल रहा था तभी बैहर तरफ से एक मोटरसाईकिल जिसे आरोपी अशोक चला रहा था ने अपने साईड में चल रही बैलगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी जिससे बैल का पैर टूट गया और मोटरसाईकिल का धक्का लगने के कारण सामने का भाग पीठ पर लगा जिससे वह गिर गया और उसके बायें पैर पर चोट लगी। दुर्घटना में मीराबाई को हाथ में चोट लगी तथा जिस बैल का पैर टूटा था वह दुर्घटना के लगभग दो-तीन माह बाद खत्म हो गया। उक्त दुर्घटना आरोपी अशोक की गलती से हुई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। घटना की रिपोर्ट प्र.पी01 थाना बैहर में की थी तथा पुलिस ने उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा प्र.पी02 एवं नजरी नक्शा प्र.पी03 बनाया था उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

7. घटना की अन्य आहत मीराबाई (अ0सा02) का कथन है कि घटना दिनांक को वह बैलगाड़ी हाकते हुये बैहर से अपनी बायीं साईड गांव जा रही थी। उसका पति बैलगाड़ी के आगे चल रहा था फिर पीछे से एक मोटरसाईकिल जिसे आरोपी अशोक चला रहा था ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी जिससे गाड़ी के पीछे की पटिया टूट गयी और वह लकड़ी दायें हाथ में लगी उसके पति को भी चोटें आयी थीं। तथा बैल का पैर टूट गया था। उक्त दुर्घटना आरोपी अशोक की गलती से हुई थी। आरोपी अशोक घटना के समय मोटरसाईकिल बिना लाईट के चला रहा था। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना के अन्य साक्षी नरेन्द्रसिंह परते (अ0सा03) तथा पतिराम पतिराम (अ0सा05) ने घटना से इंकार कर पुलिस को प्र.पी03 तथा प्र.पी05 के कथन देने से इंकार किया है।

8. डा. एन.एस.कुमरे (अ0सा07) का कथन है कि दिनांक 03.02.2014 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उस दिन थाना बैहर से आहतगण मीराबाई तथा संतुलाल को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था मीराबाई की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी08 के अनुसार उसकी जांच में कोई चोट नहीं पायी थी तथा आहत द्वारा दाहिनी भुजा में दर्द होना बताया गया था आहत संतुलाल का परीक्षण कर रिपोर्ट प्र.पी09 के अनुसार उसके बायें एकल ज्वाइंट पर एक कंट्रैयूजन पाया था उक्त चोटें साधारण प्रकृति की होकर कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना संभव थीं जो जांच के 12-24 घण्टे के भीतर की थीं। उक्त साक्ष्य से घटना दिनांक को आहतगण सन्तुलाल तथा मीराबाई को उपहति कारित होना दर्शित है। यद्यपि मीराबाई की रिपोर्ट प्र. पी08 के अनुसार उसे कोई चोट नहीं थी। तथापि साक्षी का यह कथन है कि मीराबाई ने दाहिनी भुजा में दर्द होना बताया था, स्वयं मीराबाई आ0सा02 ने भी लकड़ी की पट्टी दायें हाथ में लगाने के कथन किये हैं। धारा 319 भा. दं0सं0 के अनुसार शारीरिक पीडा कारित करना उपहति में सम्मिलित है तथा मीराबाई को दर्द ना होने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध भी नहीं है।

9. डा. मंजुशा कुसराम (अ0सा04) का कथन है कि दिनांक 03.02.2014 को पशु चिकित्सालय बांदा में थाना बैहर से बैल का फिजिकल परीक्षण हेतु प्रतिवेदन मिलने पर उसके द्वारा एक सफेद रंग के बैल का शारीरिक परीक्षण किया गया था जिसके दोनों पीछे के पैर के निचले भाग पर चोट पायी थी जो मोटरसाईकिल के टायर से आना प्रतीत हो रही थी। उक्त रिपोर्ट प्र. पी04 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

10. राजकुमारसिंह ठाकुर (अ0सा06) का कथन है कि दिनांक 03.02.2014 को थाना बैहर में पदस्थापना के दौरान प्रार्थी संतुलाल की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 29/14 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान प्रार्थी संतुलाल की निंशादेही पर दिनांक 03.02.2014 को घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी03 तथा प्रार्थी के बताये अनुसार नुकसानी पंचनामा प्र.पी02 तैयार किया था जिनके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा गवाह नरेन्द्र परते, पतिराम, संतुलाल, मीराबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 24.02.2014 को आरोपी अशोक मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर क्रमांक एम.पी.50/एम.बी.5545 को जप्ती पत्रक प्र.पी06 के अनुसार जप्त किया गया था तथा वाहन का इंजन खराब होने के कारण लाने की स्थिति में ना होने से भोलासिंह को हिफाजतनामा पर रखने हेतु दिया गया था। दिनांक 24.02.2014 को आरोपी अशोक को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र. पी07 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।



11. उपरोक्त साक्ष्य से घटना दिनांक को आरोपी की मोटरसाईकिल से प्रार्थी सन्तुलाल की बैलगाड़ी को हुई टक्कर में आहतगण को चोटें आना दर्शित है क्योंकि घटना के दोनों आहतगण अपने कथनों पर स्थिर रहे हैं, जिन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है और उक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी01 से होती है दोनों आहतगण संतुलाल (अ0सा01) तथा मीराबाई (अ0सा02) ने आरोपी चालक द्वारा अपने साईड में चल रही बैलगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने के कथन किये हैं। मौकानक्शा प्र.पी03 के अवलोकन से भी यह पुष्ट होता है कि दुर्घटना बैलगाड़ी की साईड में हुई थी। दोनों साक्षियों ने आरोपी द्वारा ही वाहन चलाने के कथन किये हैं तथा प्रार्थी संतुलाल (अ0सा01) ने आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट प्र.पी01 दर्ज करायी है। आरोपी द्वारा भी उक्त संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है कि घटना के समय वह अन्यत्र था अथवा आहतगण से उसकी पूर्व रंजिश थी। प्रकरण में वाहन की गति के संबंध में कोई तथ्य नहीं है। अभियुक्त चालक द्वारा पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना की गयी है जिससे यह संभव नहीं है कि वाहन की गति के संबंध में साक्षियों को जानकारी होगी। तथापि अपने ही दिशा में चल रही बैलगाड़ी को पीछे टक्कर मारकर बैल को चोटें कारित कर बैलगाड़ी की लकड़ी की पट्टी टूटकर आहतगणों को चोट आने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा वाहन उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाया गया होगा। अभियुक्त द्वारा भी प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं कि वह वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से नहीं चला रहा था।

12. आरोपी चालक तथा वाहन मालिक के मोटर यान अधिनियम के आरोपों के संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है तथा प्रकरण में इस संबंध में किसी प्रकार के तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। फलतः अभियुक्त अशोक को मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 130(3)/177, 50(ख)/177 तथा आरोपी परसराम को मो0व्ही0एक्ट की धारा 5/180, 146/196, 50(क)/177 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। परंतु अशोक मरकाम को धारा 279,337(दो बार) भा.द.वि. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

13. अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा परंतु स्वयं आहत मीराबाई (अ0सा02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने आरोपी से बैल की कीमत मांगी थी एवं कीमत ना देने पर उसने सोच समझकर रिपोर्ट लिखायी थी ताकि उन लोगों को मुवावजा मिल जाये। फलतः उसे एक

शिक्षाप्रद दण्ड देने की आवश्यकता है।

14. अतः अभियुक्त अशोक को धारा 279 भा.दं०सं० में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000 / (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा धारा 337 (दो बार) भा.दं०सं० के अपराध के लिए प्रत्येक हेतु न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500 / - (पांच सौ-पाच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से भुगताया जावे।

15. अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि धारा 357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत परिवादी संतुलाल को अपील अवधि पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

16. आरोपीगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, उक्त संबंध में धारा-428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

17. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी०५० / एम०बी०-5545 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

19. अभियुक्त अशोक मरकाम को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) दं.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)